



पत्र संख्या सी-1-7 / 2749,
वन विभाग हिमाचल प्रदेश।

दिनांक कुल्लू / 15-09-2020.

प्रेषक: वन मण्डल अधिकारी,
वन्य प्राणी मण्डल, कुल्लू

प्रेषित: अधिशाषी अभियन्ता,
जल शक्ति-मण्डल,
मण्डी, हि०. प्र०।

विषय: मल निकासी योजना (Sewerage Scheme) मण्डी शहर के निर्माण हेतु प्रस्तावित
वन भूमि हस्तांतरि करने के लिए वन अभयारण्य क्षेत्र (Wildlife Sanctuary
area) का अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने बारे में।

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या जल शक्ति डी०एम० कार्य सहायक भूमि हस्तांतरण
मिसल/2020-7693-94 दिनांक 05.09.2020 के संदर्भ में।

2 उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि जल शक्ति-मण्डल, मण्डी
द्वारा मण्डी शहर के लिए मल निकासी योजना (Sewerage Scheme) के निर्माण कार्य का
प्रस्तावित स्थान वन्य प्राणी शरण्य स्थल नारगु से 10 कि०. मी०. की त्रिज्या से बाहर है। अतः मल
निकासी योजना (Sewerage Scheme) का निर्माण कार्य करवाने में इस कार्यालय को कोई
आपत्ती नहीं है।

सूचना-सूचनार्थ एवं आगामी कार्यावाई हेतु अग्रेषित है।

1/10/2020
Patwari for 1

भवदीय,

वन मण्डल अधिकारी,
वन्य प्राणी मण्डल कुल्लू

क्र-अ०डा० आ०पी०.सूच० मंडी-वा-1A-एच-2020-9150 दि-30-9-2020
प्रतिनिधी सहायक अभियन्ता जलशक्ति उप-मंडल
न०1 मंडी को सूचना और आवश्यक कार्यावाई हेतु प्रेषित है

Executive Engineer
I. & P.H. Division, Mandi (H.P.)